न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 21/2013
ऑनलाईन नंबर 2016/00034

निर्णय दिनांक 29.07.2022

भोपाराम पुत्र स्व. नानूराम जाति पुरोहित निवासी तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

–वादी–

बनाम

1. रामेश्वरसिंह पुत्र जैसाराम
2. विक्रमसिंह पुत्र गणेशाराम
3. दाखूदेवी पत्नी स्व. खींयाराम
4. नरपतसिंह
5. राजेन्द्रसिंह — पुत्रगण/पुत्रियां स्व. खींयाराम
6. भंवरी
7. सायर.
8. देऊ पत्नी स्व. रामप्रताप
9. राधेश्याम
10. लूणाराम
11. सत्यप्रकाश — पुत्रगण/पुत्रियां स्व. रामप्रताप
12. राधा
13. विमला
14. सुमन
15. मंजू
16. बजरंगलाल पुत्र स्व. मालाराम
17. स्वं रामचन्द्र

1/17 शिवनारायण
2/17 कैलाशचन्द्र — पुत्रगण/पुत्री स्व. रामचन्द्र
3/17सत्यनारायण
4/17 विद्याकंवर

18. मांगीलाल पुत्र बख्तावर
19. मनोहरी पत्नी स्व. उदाराम
20. भंवरलाल
21. कालूराम — पुत्रगण स्व. उदाराम
22. नवरतन
23. केशर पत्नी स्व. बंशीलाल
24. रामदेव
25. सुमित्रा — पुत्र/पुत्रियां स्व. बंशीलाल

जातियान पुरोहित निवासीगण तोलिसासर तहसीलश्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.04 11:56:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

26. माया उर्फ सुशीला
27. फूली पत्नी आरूराम
28. चम्पालाल पुत्र आरूराम
29. गंगा पत्नी स्व. गालाराम
30. गोपालराम
31. श्यामलाल
32. मुरलीधर
33. सत्यनारायण | पुत्रगण स्व. गालाराम
34. भैराराम
35. लालूराम
36. चम्पालाल | पुत्रगण स्व. भंवरलाल
37. गालाराम पुत्र स्व. बन्नाराम
38. स्वं नरेन्द्र पुत्र स्व. बन्नाराम
1/38 सुरजादेवी पत्नी स्व. नरेन्द्र
39. अशोक
40. कमला
41. मुन्नी
42. सुशीला | पुत्र/पुत्रियां स्व. बन्नाराम
43. पेमाराम
44. हुकमाराम
45. मुन्नी | पुत्रगण/पुत्री स्व. मांगीलाल
46. हनुमान
47. ओमप्रकाश
48. गोरधन | पुत्रगण स्व. भींयाराम
49. सवाईसिंह
50. किरण | पुत्र/पुत्री स्व. नारायणराम
51. गालाराम पुत्र हीराराम
52. दूलाराम पुत्र सुगनाराम
53. गोपालराम पुत्र नानूराम
54. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार

जातियान पुरोहित निवासीगण तोलिसासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

–प्रतिवादीगण–

उपस्थिति:–
1. श्री ललित कुमा मारू अभिभाषक वादी
2. श्री महेन्द्र मान अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1,3 [illegible] 8, [illegible] 11, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 3[illegible] [illegible] 52, 53
3. श्री राजूराम वाना अभिभाषक 4, 5, 13, 15
4. एकतरफा कार्यवाही प्रतिवादीगण सं. 6,12,,24,25,[illegible]38, 39,40,41,42,45,47,50 17/1 से 17/4, 1/38
5. प्रतिवादी संख्या 2, 46, 47, 48,52 स्वयं
6. पैरोकारराज स्टेट की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.04 11:56:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 53 आरटीए व धारा 136

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी स्वयं की खातेदारी व प्रतिवादी 1 ता 52 के स्वयं व पैतृक खातेदारी एक खसरा नम्बर वर्तमान 239 तादादी 31.60 हैक्टेयर वाकेरोही तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। जेवता कृषि के पुराने खसरा नम्बर 220 तादादी 124 बीघा 19 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में रहे है। • उक्त खसरा भूमि के राजस्व रिकार्ड सम्वत 2016 में वादी के नाम 1 / 25 हिस्सा भूमि दर्ज थी तथा वादी अपने उक्त हिस्से पर लगातार सम्वत् 2016 से बहैसियत खातेदार काबिज काश्तकार है । वादगत खसरा भूमि में सम्वत् 2034 तक वादी के नाम 1 / 25 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही थी लेकिन सम्वत् 2034 के बाद राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही के चलते वादी का नाम राजस्व रिकार्ड से हटा दिया गया जबकि वादी आज भी अपनी पूर्वी खातेदारी भूमि पर काबिज चला आ रहा है। वादगत खसरा भूमि के सहखातेदार हीराराम पुत्र सालगराम के (प्रतिवादी सं. 49 से 51 के दादा/पिता) के नाम सम्वत् 2016 में वादगत खसरा भूमि में 1/15 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा था जिसकी मृत्युपरान्त दर्ज किए गये इन्तकाल संख्या 298 में गलत रूप से उसके वारिसान मालाराम व प्रतिवादी सं. 49, 50 के पिता नारायणराम के नाम 1 / 10 हिस्सा भूमि गलत दर्ज की गई जबकि नारायणराम व प्रतिवादी सं. 51 मालाराम के नाम संयुक्त रूप से 1 / 15 हिस्सा भूमि दर्ज होनी चाहिए थी। उक्त गलत इन्द्राज के पश्चात् प्रतिवादी सं. 49, 50 के पिता नारायणराम की मृत्यु पर जो इन्तकाल सं. 670 तस्दीक किया गया उसमें प्रतिवादी सं. 49, 50 व उसकी बहिन सविता, गंगा माता विजयादेवी का कोई हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया गया व प्रतिवादी सं. 49, 50 की माता विजयादेवी की मृत्यु पश्चात् इन्तकाल सं. 788 दर्ज किया गया उसमें भी प्रतिवादी सं. 49, 50 व उसकी बहिनों सविता, गंगा का कोई हिस्सा पांति का इन्द्राज नहीं किया गया । इन्तकाल संख्या 298 के आधार पर राजस्व रिकार्ड में जो प्रविष्टी सम्वत् 2038 की जमा बंदी में की गई है वह भी गलत दर्ज हुई है। प्रतिवादी सं. 49 व 50 की बहिन सविता, गंगा ने वादगत खसरा भूमि में गलत रूप से अपना हिस्सा प्रतिवादी सं. 49 के पक्ष में परित्याग कर दिया। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 49 के नाम 1 /160 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 50 के नाम 1 / 480 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है जबकि प्रतिवादी सं. 49 का 3 / 120 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 50 का 1 / 120 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था और उसी मुताबित प्रतिवादी सं. 49 व 50 वादगत खसरा भूमि में काबिज चले आ रहे है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खेत खसरा नम्बर 239 तादादी 31.60 हैक्टेयर वाकेरोही तोलियासर की भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का 1 / 10 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 का 3 / 20 हिस्सा, प्रतिवादी संपति/पि[illegible]म का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 8 ता 15 के संयुक्त नाम [illegible] 20 [illegible] प्रतिवादी सं. 16 के नाम 1 / 10 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 17 के नाम 1 / 1[illegible] हिस्सा, प्रतिवादी सं. 18 के नाम 1 / 20 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 19 के नाम 1 / [illegible]60 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 20 ता 22 के नाम 21 /640 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 23 ता 26 के नाम 7 / 640 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 27 ता 33 का 1 / 10 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 34 ता 36 का 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.04 11:56:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

/ 40 हिस्सा 1 / 40 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 37 से 42 का 1/120 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 43, 44 का 2 / 90 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 45 का 1/360 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 46 से 48 व 51 का संयुक्त रूप से 1/30 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 49 का 1/160 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 50 का 1/480 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 52 का 1 / 10 हिस्सा, प्रतिवादी सं 53 का 1/20 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में खातेदारों की मृत्यु के पश्चात जो विरासतन इन्तकाल दर्ज हुए है उनमें हिस्सा रकबा कसीद गलत इन्द्राज किया गया है जिसे वादी दुरूस्त करवाने का अधिकारी कि वादी अपनी चली आ रही खातेदारी भूमि के 1 / 25 हिस्सा पर लगातार रूप से काबिज काश्त करता चला आ रहा है। वादी का नाम राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से सम्वत् 2034 में विलोपित कर दिया गया जिसकी वादी को कभी कोई जानकारी नहीं रही है क्योंकि वादी अपने कब्जा काश्त व हिस्सा की भूमि पर बेरोक–टोक निर्वाद्ध रूप से काबिज चला आ रहा है तथा वादी की हिस्सा भूमि के सम्बन्ध में किसी भी पक्षकार को कोई आपत्ति व विवाद नहीं रहा था । वादी वादगत खसरा भूमि में अपने 1 / 25 हिस्से की ख़ातेदारी की घोषणा अपने नाम करवाने का अधिकारी है जिसके लिए यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी अनपढ व ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है जिसे अपनी खातेदारी भूमि के राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से हटाये गये नाम बाबत पूर्व में कोई जानकारी नहीं रही। वादी ने प्रतिवादीगणों से अपनी खातेदारी भूमि का राजस्व रिकार्ड में विभाजन कराने का निवेदन दिनांक 05.11.2012 को किया तो प्रतिवादीगण कहा कि तुम्हारा नाम राजस्व रिकार्ड में नहीं है तब वादी ने तमाम राजस्व रिकार्ड की नकले दिनांक 04.01.2013 को निकलवाई तो वादी को वादगत खसरा भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी हुई कि वादी के नाम चली आ रही 1 / 25 हिस्सा भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड से विलोपित कर दी गई है, जबकि वादी अपने उक्त हिस्सा पांति की भूमि पर आज भी काबिज चला आ रहा है। वादी अपने नाम चली आ रही खातेदारी भूमि की घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाकर दुरुस्ती करवाने का अधिकारी है। यही वादी का वादाधार व वादकारण है। प्रतिवादीगण द्वारा सहमतिपूर्वक राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम खातेदारी दर्ज कराने से इन्कार करने व कब्जा काश्त के मुताबिक विभाजन कराने से इन्कार होने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादी को घोषणात्मक अनुतोष, विभाजन व चिरनिषेधाज्ञा का दावा लाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है। वादी अपनी खातेदारी भूमि को काश्त करता चला आ रहा है व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। वादी बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर अपने 1 / 25 हिस्से की खातेदारी प्राप्त होने पर तदनुसार खाता विभाजन कराने का कानूनन अधिकार है राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही के चलते वादी की खातेदारी का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में सम्वत् 2034 के बाद नहीं किया गया है जबकि वादी अपनी पूर्व चली आ रही खातेदारी भूमि पर काबिज चला आ रहा है। प्रतिवादीगण येन केन प्रकारेण उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम खातेदारी का इन्द्राज नहीं होने का नाजायज फायदा उठाने की फिराक व कोशिश में है। प्रतिवादीगण के गलत मेन्सूबों

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.04 11:46:11 IST
Reason: SelfAttested

के चलते वादी को अपूरणीय क्षति हो रही है व वादी अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित हो रहा है। राजस्व रिकार्ड का संधारण प्रतिवादी सं. 54 द्वारा किया जाता है जिसे आवश्यक पक्षकार संयोजित किया गया है। चूंकि राज्य सरकार के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. के प्रावधान में बाद मियांद नोटिस दावा प्रस्तुत किया जाना चाहिए परन्तु वादी वृद्ध व ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है। राजस्व रिकार्ड मे गलत इन्द्राज के आधार पर खातेदारी अधिकारों से वंचित किया जा रहा है व वादी अपनी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि के अधिकारों से वंचित हो रहा है इसलिए वादी का दावा अति आवश्यक प्रकृति का है इसलिए धारा 80 (2) सी. पी.सी. के प्रार्थना पत्र पर कानूनी नोटिस की छूट प्राप्त कर वादी की ओर से दावा प्रस्तुत किया गया है ।

अतः दावा प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि दावा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः–

(क) कि वादगत खेत खसरा नम्बर 239 तादादी 31.60 हैक्टेयर वाकेरोही तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम 1/25 हिस्सा की खातेदारी घोषित की जावे तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश प्रतिवादी संख्या 54 को दिया जावे और उसकी पालना प्रतिवादी संख्या 54 से करवाई जावे।

(ख) कि वादगत खसरा भूमि में वादी का 1 / 25 हिस्सा भूमि का खाता विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर किए जांने की डिक्री पारित की जाकर प्रतिवादी सं. 54 से पालना करवाई जावे।

(ग) कि प्रतिवादीगण को जरिये चिरनिषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावे कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 239 तादादी 31.60 हैक्टेयर वाकेरोही तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में वादी के 1 / 25 हिस्सा भूमि के कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार से बाधा विध्न नहीं डाले, वादी के कब्जे काश्त में प्रवेश करने से नहीं रोके, ना ही वादगत खेत को किसी प्रकार से विक्रय, रहन, बैय दीगर प्रकार से मुन्तकिल करें ना ही प्रतिवादीगण ऐसा कोई कृत्य व अपकृत्य करें जिससे वादी के वैध अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता हो ।

(घ) कि हर्जा खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(ड़) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने दावा हितकर वादी हो जावे वह भी आज्ञप्त फरमाया जावे। श्रीमान्जी की अति कृपा होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.04 11:56:11 IST
Reason: SelfAttested

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मनतलब किया गया। श्री महेन्द्र मान अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1,3,5, 8, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30, [illegible], 33 ता 37, 43, 44, 51, 52, 53 ने जवाब पेश किया। प्रतिवादीगण 4,13, 15 द्वारा जवाबदावा पेश नहीं किये जाने के कारण जवाबदावा पेश करनें का अवसर बन्द किया गया। प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

सं. 6,12,,24,25,28,38, 39,40,41,42,45,47,50 17/1 से 17/4, 1/38 के विरूद्ध बावजूद सम्मन तामिल उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 2, 46, 47, 48,52 स्वयं उपस्थित होकर वादी का दावा स्वीकार किया/राजीनामा पेश किया। पैरोकाराज प्रतिवादी संख्या 54 ने जवाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया। उक्त पत्रावली राजस्व अभियान कैम्प में 8.10.2021 को प्रस्तुत हुई जहा वादी व प्रतिवादी संख्या 1,2,5,8,10,11,20,27,29,34,43,44,47,48 ने राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील पक्षकारान ने निवेदन किया पक्षकरान के मध्य राजीनामा प्रस्तुत हुआ है। प्रतिवादी अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह मान व राजूराम बाना ने भी वादी के दावें को स्वीकार कर अपने जवाब दावें के अनुसार प्रतिवादी के हिस्से की खातेदारी का खाता विभाजन कर पत्रावली निर्णित की जाये। पक्षकारान अधिवक्ताओं द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर बहस सुनने का निवेदन किया जिस पर पत्रावली पर बहस अन्तिम सुनी गई। वादी द्वारा प्रस्तुत दावा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह है कि वादी स्वयं की खातेदारी व प्रतिवादी 1 ता 52 के स्वयं व पैतृक खातेदारी एक खसरा नम्बर वर्तमान 239 तादादी 31.60 हैक्टेयर वाकेरोही तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। जेवता कृषि के पुराने खसरा नम्बर 220 तादादी 124 बीघा 19 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में रहे है। • उक्त खसरा भूमि के राजस्व रिकार्ड सम्वत 2016 में वादी के नाम 1 / 25 हिस्सा भूमि दर्ज थी तथा वादी अपने उक्त हिस्से पर लगातार सम्वत् 2016 से बहैसियत खातेदार काबिज काश्तकार है । वादगत खसरा भूमि में सम्वत् 2034 तक वादी के नाम 1 / 25 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही थी लेकिन सम्वत् 2034 के बाद राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही के चलते वादी का नाम राजस्व रिकार्ड से हटा दिया गया जबकि वादी आज भी अपनी पूर्वी खातेदारी भूमि पर काबिज चला आ रहा है। वादगत खसरा भूमि के सहखातेदार हीराराम पुत्र सालगराम के (प्रतिवादी सं. 49 से 51 के दादा/पिता) के नाम सम्वत् 2016 में वादगत खसरा भूमि में 1/15 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा था जिसकी मृत्युपरान्त दर्ज किए गये इन्तकाल संख्या 298 में गलत रूप से उसके वारिसान मालाराम व प्रतिवादी सं. 49, 50 के पिता नारायणराम के नाम 1 / 10 हिस्सा भूमि गलत दर्ज की गई जबकि नारायणराम व प्रतिवादी सं. 51 मालाराम के नाम संयुक्त रूप से 1 / 15 हिस्सा भूमि दर्ज होनी चाहिए थी। उक्त गलत इन्द्राज के पश्चात् प्रतिवादी सं. 49, 50 के पिता नारायणराम की मृत्यु पर जो इन्तकाल सं. 670 तस्दीक किया गया उसमें प्रतिवादी सं. 49, 50 व उसकी बहिन सविता, गंगा माता विजयादेवी का कोई हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया गया व प्रतिवादी सं. 49, 50 की माता विजयादेवी की मृत्यु पश्चात् इन्तकाल सं. [illegible] किया गया उसमें भी प्रतिवादी सं. 49, 50 व उसकी बहिन सविता, गंगा का कोई हिस्सा पांति का इन्द्राज नहीं किया गया । इन्तकाल संख्या 298 के आधार पर राजस्व रिकार्ड में जो प्रविष्टी सम्वत् 2038 की जमा बंदी में की गई है [illegible] भी गलत दर्ज हुई है। प्रतिवादी सं. 49 व 50 की बहिन सविता, गंगा ने वादगत खसरा भूमि में गलत रूप से अपना हिस्सा प्रतिवादी सं. 49 के पक्ष में परित्याग कर दिया। वर्तमान राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.04 11:36:11 IST
Reason: SelfAttested

रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 49 के नाम 1 /160 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 50 के नाम 1 / 480 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है जबकि प्रतिवादी सं. 49 का 3 / 120 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 50 का 1 / 120 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था और उसी मुताबित प्रतिवादी सं. 49 व 50 वादगत खसरा भूमि में काबिज चले आ रहे है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खेत खसरा नम्बर 239 तादादी 31.60 हैक्टेयर वाकेरोही तोलियासर की भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का 1 / 10 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 का 3 / 20 हिस्सा, प्रतिवादी संपति/पिता खींयाराम का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 8 ता 15 के संयुक्त नाम से 1 / 20 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 16 के नाम 1 / 10 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 17 के नाम 1 / 10 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 18 के नाम 1 / 20 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 19 के नाम 1 / 60 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 20 ता 22 के नाम 21 /640 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 23 ता 26 के नाम 7 / 640 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 27 ता 33 का 1 / 10 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 34 ता 36 का 1 / 40 हिस्सा 1 / 40 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 37 से 42 का 1/120 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 43, 44 का 2 / 90 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 45 का 1/360 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 46 से 48 व 51 का संयुक्त रूप से 1/30 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 49 का 1/160 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 50 का 1/480 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 52 का 1 / 10 हिस्सा, प्रतिवादी सं 53 का 1/20 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में खातेदारों की मृत्यु के पश्चात जो विरासतन इन्तकाल दर्ज हुए है उनमें हिस्सा रकबा करीद गलत इन्द्राज किया गया है जिसे वादी दुरूस्त करवाने का अधिकारी कि वादी अपनी चली आ रही खातेदारी भूमि के 1 / 25 हिस्सा पर लगातार रूप से काविज काश्त करता चला आ रहा है। वादी का नाम राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से सम्वत् 2034 में विलोपित कर दिया गया जिसकी वादी को कभी कोई जानकारी नहीं रही है क्योंकि वादी अपने कब्जा काश्त व हिस्सा की भूमि पर बेरोक–टोक निर्वाद्ध रूप से काविज चला आ रहा है तथा वादी की हिस्सा भूमि के सम्बन्ध में किसी भी पक्षकार को कोई आपत्ति व विवाद नहीं रहा था । वादी वादगत खसरा भूमि में अपने 1 / 25 हिस्से की खातेदारी की घोषणा अपने नाम करवाने का अधिकारी है जिसके लिए यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा दिनांक 08.10.2021 व प्रतिवादी संख्या 54 द्वारा प्रस्तुत जवावदावा का अवलोकन किया प्रतिवादी संख्या 54 के जवाब दावे में वादी की के नाम सम्वत 2034 के राजस्व रिकार्ड में वादगत खसरा भूमि की 1/25हिस्सा की खातेदारी दर्ज होना स्वीकार किया है।प्रतिवादीगण ने भी राजीनाम प्रस्तुत कर वादगत खसरा भूमि वादी के नाम 1/25 हिस्सा भूमि की खातेदारी घोषित करनें की सहमति दी है। विचाराधीन दावे में वकील वादी द्वारा दिनांक 11.05.2022 को वादगत खसरा भूमि की जमावन्दी पेश की। वादी प... ...तिवादीगण की ओर से पत्रावली में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही कर लिखित राजीनामा मौखिक निवेदन पर वादगत खसरा भूमि में वादी की 1/25हिस्सा ... ...दारी घोषित कर समस्त खातेदारों के खाता विभाजन के आदेश जारी करनें ... निवेदन किया गया। प्रतिवादी संख्या 54 ने वादी के नाम सम्वत 2034 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही 1/25हिस्सा भूमि की खातेदारी किसी सक्षम न्यायालय या अधिकारी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.04 11:56:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

आदेश पर नही हटाई गई बल्कि राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से यह प्रथम दृष्ट्या स्पष्ट है कि सम्वत 2034 के पूर्व राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम 1/25हिस्सा भूमि की खातेदारी वादी के नाम दर्ज थी। जिसे वादी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अपने नाम घोषित करवाकर रिकार्ड दुरूस्त करवानें का अधिकारी है तथा अपनी कब्जा काश्त खातेदारी भूमि के हिस्से का खाता विभाजन बाई बिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर करवाने का अधिकार रखता है। वादी का दावा पत्रावली एवं दस्तावेजो के अवलोकन व पक्षकारान के मध्य राजीनामा के आधार पर डिक्री किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नंबर 239 तादादी 31.60 हैक्टेयर वाकेरोही तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर में वादी भोपाराम के नाम 1/25हिस्सा भूमि की खातेदारी घोषित की जाती है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर खसरा नंबर 239 के सहखातेदारों की खातेदारी भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर खाता विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार श्रीडूंगरगढ नियम 18 से 21 को ध्यान में रखतें हुए वादी एवं प्रतिवादीगण की कब्जा काश्त अनुसार आने जाने के रास्ते को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2022 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.04 11:56:11 IST
Reason: SelfAttested